

22/01/21

2020
00005

पत्रावली बेश हुई। अविवेकता प्राथमिकता उपरी
विपक्षीयता अनुपातित। व्यापारिक समय में
रुक-रुक कर कई बार आवाजें लगावने पर
भी विपक्षीयता उपरान्त नहीं हुई। अतः विपक्षीयता
के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए
जाते हैं वही अविवेकता प्राथमिकता सुनी गयी।

X --- लगातार

(श्याम सुन्दर विश्वाकर्षी)
सहायक कलेक्टर
उपरखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन कर
बहल अखीवस्त प्रार्थीगण पर मगन किया
प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी, भूमि
ग्राम मीठारामजी का खेडा प० ह० तैती
तहसील चित्तौड़गढ़ (स्थित आराजी नम्बर
५१४ रकबा ०.०७ हे. किलम बीड की पत्थरगढी
किए जाने के आदेश पदान किए जाने बाबत
निवेदन किया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना
पर अर्जित धारा १२४ रा. ले. रे. एकर
स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की ग्राम
मीठारामजी का खेडा प० ह० तैती स्थित
खातेदारी की भूमि आ. नं. ५१४ रकबा ०.०७ हे.
की बिना किसी के कटजे में दरबान्दाजी किए
पत्थरगढी पत्थर गढी करने के आदेश दिए
जाते हैं। पत्थरगढी शुल्क ५००.०० रुपए
असरे पाँच सौ रुपए प्रार्थीगण वहन करेंगे।
पालनाथ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को लिखा
जावे कि पक्षकारण को लिखित सूचना देकर
क नियमानुसार पत्थरगढी की जावे एवं पालना
रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्णय
लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया
पत्रावली को लाल शमार होकर नम्बर से कम
हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

2020
00005